

प्रास्वप-३ (संलग्नक-६)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यू.आई.डी संख्या: UPI/S/2023/73341/MRT/MEERUT/1344/CFO

दिनांक: 07-02-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स KALKA INSTITUTE FOR RESEARCH AND ADVANCED STUDIES (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता Kh No. 587.1 589.1 21.1 40.1 42.1 42.4 33, NH-58 BYPASS ROAD PARTAPUR MEERUT, MEERUT तहसील - MEERUT, प्लॉट एरिया 38233.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 4421.19 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर
BLOCK 2

प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या
4

वेसमेन्ट की संख्या
1

ऊँचाई
14.55 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स KALKA INSTITUTE FOR RESEARCH AND ADVANCED STUDIES द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयीं व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 07-02-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ANIL MEHROTRA 9811011025 anilmpersonal@gmail.com के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 के अनुसार अधिस्थापित पायीं गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की श्रेणी में प्रयोग प्रणाली Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 11-02-2023 से 10-02-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयीं अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायीं गयीं कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स KALKA INSTITUTE FOR RESEARCH AND ADVANCED STUDIES अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न करायें जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स KALKA INSTITUTE FOR RESEARCH AND ADVANCED STUDIES अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र शून्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



(SANTOSH KUMAR RAI)

1F22C5B5122120F3FA70F310BACD3985611764961

11-02-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 11-02-2023
स्थान : MEERUT